अपील भरण पोषण संख्या 3/2016 अनवानी ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 8के(ए) तहसील अनूपगढ बनाम 1–मनीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी चक 8के(ए) तहसील अनूपगढ़ 2–सुन्दरादेवी पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी चक 8के(ए) तहसील अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.08.2016

अपीलार्थी ओमप्रकाश उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया। अपीलार्थी का कथन है कि उपजिला मजि0 अनूपगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 विधिक प्रावधानो के विपरीत है। इसलिए अपील सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने यह अपील उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अपने माता पिता के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र मनीराम तथा उसके भाई राधाकिशन पुत्र मनीराम व पोत्र परिक्षीत पुत्र प्रेमचंद को प्रतिमाह 1500–1500रूपये दिनांक 29.09.2014 से अपने माता पिता व रेस्पों0 सं0 3 के दादा–दादी को भरण पोषण के रूप में दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

यह अपील अपीलार्थी अकेले ओमप्रकाश द्वारा संतान के रूप में इस अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत अपने माता पिता के विरूद्ध पेश की गई है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 निम्न प्रकार से है:–

> **16.अपील–(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगाः**
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण–पोषण आदेश के निबन्धों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगाः

उक्त धारा 16 के अनुसार केवलमात्र माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को ही अपनी संतान/संबंधी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है न कि किसी संतान या संबंधी को अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है।

चूंकि यह अपील औमप्रकाश द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत अपने माता–पिता के विरूद्ध पेश की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर.(एस.सी.) पेज 726 स्टेट आफ बिहार बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से आदेश दिये गये हैः–

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors..; AIR 2002 SC 629].

उक्त अधिनियम की धारा 16 के अनुसार केवल माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को ही अपनी संतान/संबंधी के विरूद्ध इस अपील अधिकरण में अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता है न कि किसी संतान या संबंधी को। अपीलार्थी द्वारा यह अपील संतान की हैसियत से अपने माता पिता के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जो उक्त विधिक प्रावधानो को देखते हुए सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नही है।

इसलिए उक्त विधिक प्रावधानो को देखते हुए यह अपील सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य न होने के कारण अपीलार्थी को वापिस लौटाई जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर